

No: DSIIDC/CE(E)/EE&REM/2025-26/164

Dated: 28.04.2025

Office Memorandum

Subject: - Gazette Notification on mandatory use of Energy Efficient Brushless DC (BLDC) fans, 5 star and above air-conditioners and other 5-star rating energy appliances in Government Building/ Government aided institutions/ Board/ Corporations in NCT of Delhi.

1. Department of Power, GNCTD vide notification no. F.8(1)/EEREM/2024-25/925-934 dated 07th March 2025 issued Gazette Notification for Mandatory use of Energy Efficient Brushless DC (BLDC) fans, 5 star or above Air conditioners and other star rated appliances in Government Buildings/ Government aided institutions/ Boards/ Corporations in NCT of Delhi.
2. The Notification dated 7th March 2025 is adopted for compliance for the procurement/ works under the jurisdiction of DSIIDC.
3. This shall however take effect from the date of issue of this memorandum.
4. SE(E) shall be the Nodal & Responsible Officer to ensure that the stipulations of Department of Power, GNCTD notification no. F.8(1)/EEREM/2024-25/925-934 dated 07th March 2025 are satisfied before submitting the proposals to higher authorities and also to inform the higher authorities in case of any violations thereof.

Encl: As above

(Vivek Behl)
Chief Engineer (E)

SE (Electrical)

Copy for kind information please:-

1. PS to MD, DSIIDC
2. PS to ED, DSIIDC
3. PS to Director (F)
4. CE-I
5. CE-II.
6. CM (IT), for information and with the request to upload this OM on the DSIIDC website.


(Vivek Behl)
Chief Engineer (E)

162/cowp
29-04-25

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08032025-261517
SG-DL-E-08032025-261517असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|--|-------------------------|
| सं. 85] | दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946 | [रा.रा.क्षे.दि. सं. 437 |
| No. 85] | DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/PHALGUNA 16, 1946 | [N. C. T. D. No. 437 |

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 7 मार्च, 2025

फा. सं. 8 (1)/ईईआरईएम/2024-25/925-934.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा उसके संरक्षण हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी करते हैं, अर्थात् -

सरकारी भवनों/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों/बोर्डों/निगमों में ऊर्जा कुशल ब्रशलेस डीसी (बीएलडीसी) पंखे, 5 स्टार या उससे अधिक एयर कंडीशनर और अन्य स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों का अनिवार्य उपयोग-

- (1) ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखे, 5 स्टार या उससे अधिक एयर कंडीशनर और अन्य स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तत्काल प्रभाव से सरकारी क्षेत्र/सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्र/बोर्ड और निगम/स्वायत्त निकायों में निर्मित सभी नए भवनों/संस्थानों में लगाए जाएंगे।
- (2) यह अनिवार्य होगा कि मौजूदा भवनों में दोषपूर्ण इंडक्शन मोटर पंखे और एयर कंडीशनर, जब भी बदलें जाएं, तो उन्हें केवल ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखों, 5 स्टार या उससे ऊपर के एयर कंडीशनर और अन्य स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों से बदला जाएगा।
- (3) उपभोक्ता/उपयोगकर्ता विभाग लागत लाभ विश्लेषण के यथोचित उद्यम के साथ अन्य स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग का पता लगा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रवि धवन, विशेष सचिव

1621 DG/2025

(1)